रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248460
CG-DL-E-31082023-248460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3686] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 3686] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

का.आ. 3847(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम तांबा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 है।

(2) यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि से प्रवृत्त होगा।

2. लागू होना - यह आदेश निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में लागू होगा, किंतु निर्यात के निमित्त माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

3. मानक चिहन का अनिवार्य उपयोग - उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु स्तंभ (2) में उल्लिखित तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगी और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियमन, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के अधीन मानक चिहन होगा।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में प्रमाणित करने वाला और लागू करने वाला प्राधिकरण होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
तांबा	भा.मा. 191:2007	तांबा-विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रमाणित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण ऐसे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[फा.सं. 02/19/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार (खान)

MINISTRY OF MINES

ORDER

New Delhi, the 31st August, 2023

S.O. 3847(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely: -

1. Short title and commencement - (1) This Order may be called the Copper (Quality Control) Order, 2023.

(2) This Order shall come into force with effect from three months from the date of publication of this notification.

2. Application - This Order shall apply in relation to goods or article specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to goods or article meant for export.

3. Compulsory use of Standard Mark - Goods or article specified in the column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the column (2) therein and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certifying and enforcing authority - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or article specified in the column (1) of the said Table.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Copper	IS 191:2007	Copper-Specification

Note: For the purposes of the Table, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 02/19/2023-ES]

SHAKIL ALAM, Economic Adviser (Mines)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.